ऋण निवारण न्यायालय (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश) संख्या–1, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनदीप, आर.जे.एस.

डी.आर.सी. प्रकरण संख्या : 13/2025 (10/2014)
CIS Reg.No. : Drc/307/2014
CNR : RJSG030000842014

फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह श्रीगंगानगर जरिए प्रोपराइटर सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी 75 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर।

––आवेदक/ऋणदाता

बनाम

गुरसेवक सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

––अनावेदक/ऋणी

आवेदन पत्र बाबत् ऋण विनिश्चयकरण अंतर्गत धारा 6(2) राजस्थान कृषि ऋण मुक्ति अधिनियम, 1957

प्रतिनिधित्व :–

1– श्री ओ.पी. बतरा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/आवेदक।

2– श्री कुलविन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी/अनावेदक।

–आदेश– **दिनांक–20.08.2026**

1. आवेदक/ऋणदाता सुरेन्द्रपाल सिंह प्रोपराइटर फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह ने अनावेदक/ऋणी गुरसेवक सिंह के विरूद्ध मूलधन 2,00,000/– रूपये व ब्याज 1,11,000/–रूपये कुल राशि 3,11,500/– रूपये के ऋण विनिश्चयकरण बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2014 को इस आशय का पेश किया कि आवेदक, उत्तरवादी गुरसेवक सिंह जो कि राजस्थान कृषि ऋण मुक्ति अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कृषक ऋणी है, का ऋणदाता है एवं ऋणी सामान्यतः ग्राम मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास करता है। प्रार्थी की फर्म जीवन सिंह अवसार सिंह नई धानमंडी में अपना कारोबार करते हैं। अप्रार्थी की आढ़त प्रार्थी फर्म के साथ थी, वह समय पर रकम उधार लेते थे तथा दिनांक 25.04.2011 को अपना तमाम हिसाब समझकर प्रार्थी फर्म जीवनसिंह अवतार सिंह हक में दो लाख रुपए प्रनोट व रसीद लिख दी, जिसमें 1.50 पैसे प्रतिमाह सैकंडा ब्याज तय किया गया, असल व प्रनोट शामिल प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी उक्त राशि पेटे आज तक कोई रकम असल व ब्याज रकम प्रार्थी फर्म को अदा नहीं की, जबकि प्रार्थी द्वारा बार–बार रकम मांग करते रहे हैं। दो रोज पहले रकम देने से इंकार कर दिया। प्रार्थी अप्रार्थी से असल दो लाख रुपए ब्याज 111000/– कुल 311000/– रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में मियाद, कोर्ट फीस, श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार इत्यादि बिन्दुओं का समावेश करते हुए व

अनावेदक/उत्तरवादी की चल अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ऋण निश्चयकरण किया जाकर ऋण राशि अनावेदक ऋणी से आवेदक ऋणदाता को दिलवाई जावे।

2. अनावेदक/ऋणी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उत्तरवादी चक 4 बी छोटी, मोहनपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का निवासी है, परन्तु वह ऋण मुक्ति अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (सी०सी०) के अन्तर्गत कृषक ऋणि नहीं है तथा न ही आवेदक ऋणदाता है। उत्तरदाता द्वारा कोई राशि आवेदक फर्म से उधार नहीं ली तथा न ही उत्तरवादी से किसी प्रकार की कोई मूल राशि 2,00,000/– रूपये व ब्याज राशि 1,00,000/– रूपये कुल 3,11,000/–रूपये अखरे तीन लाख ग्यारह हजार रूपये आवेदक पाने का हकदार है तथा न ही उत्तरवादी द्वारा कोई अदायगी की जानी है। खाली प्रनोट आवेदक के पास था जो अरसा 20–25 वर्ष पूर्व उतरदाता अप्रार्थी की आढ़त आवेदक फर्म पर थी तथा उस समय उत्तरदाता अप्रार्थी के हस्ताक्षर खाली प्रनोट व रसीद पर करवाये गये थे जिसमें राशि अंकित कर झूठा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक फर्म जीवनसिंह अवतार सिंह गंगानगर में आढ़त का कारोबार करती है परन्तु उत्तरदाता अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से भी दिनांक 25.04.2011 को कोई हिसाब नहीं समझा तथा न ही किसी प्रकार की तीन लाख ग्यारह हजार रूपये बकाया रकम का प्रनोट व रसीद को प्रार्थी फर्म के हक में तहरीर नहीं करके दिया तथा न ही किसी प्रकार की असल व ब्याज पेटे कोई रकम अदा करनी थी। वास्तविक्ता यह है कि आवेदक फर्म पर ही उत्तरदाता अप्रार्थी की आढ़त अरसा 20–25 वर्ष पूर्व थी तथा 20–25 वर्ष पूर्व ही उत्तरदाता अप्रार्थी द्वारा हिसाब करके आढ़त छोड़ दी थी तथा जब आढ़त आवेदक फर्म के पास चलती थी तो आवेदक फर्म के मालिक अवतार सिंह द्वारा खाली प्रनोट व रसीद पर आढ़त की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदाता के हस्ताक्षर करवा लिये थे तथा जब उत्तरदाता अप्रार्थी द्वारा अरसा 20–25 वर्ष पूर्व आढ़त छोड़ते समय हस्ताक्षरशुदा प्रनोट व रसीद मांगे तो आवेदक फर्म के मालिक अवतार सिंह द्वारा कहा कि वे गुम हो गये हैं और वह उसका दुरूपयोग नहीं करेगा परन्तु अब दुर्भावनापूर्वक खाली प्रनोट व रसीद का दुरूपयोग करते हुए उसकी कूटरचना कर उक्त प्रकरण पेश किया है। उत्तरदाता अप्रार्थी के पास 4 बी छोटी में कृषि भूमि है परन्तु किसी प्रकार से भी उत्तरदाता अप्रार्थी को 5,00,000/– रूपये की वार्षिक आय अर्जित नहीं होती है। उत्तरदाता अप्रार्थी के पास कोई 2 बैल नहीं है। आगे अतिरिक्त कथनों में अप्रार्थी ने कथन किया कि उत्तरदाता अप्रार्थी की आढ़त अरसा 20–25 वर्ष पूर्व आवेदक फर्म पर थी तथा उस समय आवेदक फर्म द्वारा उत्तरदाता के हस्ताक्षर खाली प्रनोट व रसीद पर करवा लिये थे तथा पिछले 20–25 वर्ष की लम्बी अवधि में किसी प्रकार का कोई लेन–देन उत्तरदाता अप्रार्थी का आवेदक फर्म से नहीं हुआ है तथा पूर्व में जब उत्तरदाता की

आवेदक फार्म के यहां आढ़त थी तो आवेदक फर्म के मालिक अवतार सिंह द्वारा आढ़त की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदाता के खाली प्रनोट व रसीद पर हस्ताक्षर करवाकर प्राप्त किये गये थे तथा जब आढ़त अरसा लगभग 20–25 वर्ष पूर्व छोड़ कर अन्य जगह पर अपनी आढ़त कर ली तो उस समय खाली प्रनोट व रसीद की मांग की गई जिस पर आवेदक फर्म के मालिक अवतार सिंह द्वारा कहा गया कि वे गुम हो गये हैं और वह उसका दुरूपयोग नहीं करेगा परन्तु अब दुर्भावना पूर्वक खाली प्रनोट व रसीद का दुरूपयोग करते हुए उसकी कूटरचना कर दुर्भावनापूर्वक उत्तरदाता अप्रार्थी के नाम से 3,11,000/– रूपये भरकर खाली प्रनोट व रसीद पर कूटरचना करते हुए राशि भरी है तथा किसी प्रकार से भी आवेदक फर्म उत्तरदाता अप्रार्थी से कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अरसा 20–25 वर्ष पूर्व उत्तरदाता अप्रार्थी ने आवेदक फर्म की आढ़त छोड़कर अन्य ट्रेडिंग कम्पनी पर आढ़त प्रारम्भ कर ली थी। अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

3. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक किये गये:–

1. क्या अप्रार्थी ने प्रार्थी से समय–समय पर विभिन्न तिथियों को उधार प्राप्त की गई राशि के पेटे हिसाब समझते हुए 2,00,000/– (दो लाख रुपए) 1.50/– रुपए प्रति सैंकड़ा ब्याज तय कर दिनांक 25.04.2011 को प्रोनोट व रसीद तहरीर व तकमील की?

––प्रार्थी

2. क्या प्रार्थी अप्रार्थी से मूलधन मय ब्याज कुल राशि 3,11,000/– रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है?

–प्रार्थी

3. क्या यदि कोई ऋणदेयता अप्रार्थी पर भारित होता है तो अदायगी की रीति क्या होगी?

4. अनुतोष?

4. उक्त विवाद्यकों के संबंध में आवेदक /ऋणदाता की ओर से सुरेन्द्र पाल सिंह ने पी.डब्ल्यू.1 के रूप में व राजेन्द्र कुमार ने पी.डब्ल्यू.2 के रूप में मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश कर न्यायालय में स्वयं को परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्यस्वरूप दस्तावेज प्रोनोट प्रदर्श–1, रसीद प्रदर्श–2 को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

5. इसके विपरीत अनावेदक/ऋणी की ओर से अनावेदक गुरसेवक ने मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, किंतु बाद में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य अप्रार्थी पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य अप्रार्थी बद की गई।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक/ऋणदाता ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थी की आढ़त की दुकान धानमंडी में थी व अप्रार्थी की आढ़त प्रार्थी की फर्म पर थी। अप्रार्थी समय –समय पर प्रार्थी से उधार लेता था व दिनांक 25.04.2011 को तमाम हिसाब समझ कर उसका बकाया दो लाख रुपए बनाया, जिस पर इस रकम की अदायगी के लिए अप्रार्थी ने प्रनोट व रसीद प्रार्थी सुरेंद्र पाल के पिता के हक में तहरीर कर दी। यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी के पास कृषि भूमि है व प्रार्थी सुरेंद्र पाल के पिता के द्वारा कोई खाली कागजों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए बल्कि अप्रार्थी के जिम्मे बकाया था। यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी फर्म के मध्य विवाद होने के कारण उक्त फर्म का दो फर्मों में वर्गीकरण हुआ था जिसके कारण हिसाब किताब से संबंधित बही खाते, रोकड़ प्राप्त नहीं हो सके व यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी के द्वारा कभी भी प्रनोट की राशि जमा नहीं करवाई गई व प्रार्थी के द्वारा इस संबंधित एक नोटिस भी दिया गया जिसका कोई जवाब भी अप्रार्थी के द्वारा नहीं दिया गया व अप्रार्थी के द्वारा यह बचाव लिया गया कि प्रार्थी के पिता के द्वारा अप्रार्थी के प्रनोट पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे परंतु अगर ऐसा था तो प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रनोट का उपयोग किए जाने के संबंध में तो विधिक कार्यवाही अप्रार्थी के द्वारा क्यों नहीं की गई, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है व ऐसी कोई साक्ष्य अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है कि प्रनोट प्रदर्श.1 पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं हो व बही रोकड़ से उक्त संव्यवहार को प्रमाणित करना कतई आवश्यक नहीं था क्योंकि उक्त संव्यवहार के संबंध में ही प्रनोट लिखा गया था व अप्रार्थी का ऐसा कोई बचाव नहीं रहा है कि उक्त प्रनोट पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं हो। प्रार्थी के द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की पूर्णतया ताईद अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से की है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी से ऋण राशि मय ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/अनावेदक ने दौराने बहस तर्क दिए कि डीआरसी की कार्यवाही के लिए अप्रार्थी का कृषक होना जरूरी है तथा इस संबंध में जमाबंदी भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी की आय कृषि से हो रही हो परंतु प्रार्थी के द्वारा इस संबंध में कोई भी जमाबंदी पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई है व अप्रार्थी ना तो कृषक है, ना ही उसकी मुख्य आय कृषि पर आधारित है जिसके कारण डीआरसी की कार्यवाही अप्रार्थी के विरुद्ध चलने योग्य नहीं है व यह भी तर्क दिया कि प्रनोट को साबित करने का भार प्रार्थी पर था व प्रार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी सुरेंद्र पाल सिंह को हस्तगत प्रकरण को आगे संचालित किए जाने का क्या विधिक अधिकार था, इसके संबंध में कोई भी ठोस साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की

है व प्रार्थी उक्त फर्म का प्रोपराइटर हो, इसके संबंध में भी कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश पर प्रदर्शित नहीं करवाया है व न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उक्त संव्यवहार के संबंधित बही रोकड़ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था परंतु उसके पश्चात भी उक्त बही रोकड़ पत्रावली में पेश नहीं करने के कारण न्यायालय के द्वारा उक्त दस्तावेज की तलबी यह कहते हुए बंद की गई कि बरवक्त निर्णय इस पर विपरीत उपधारणा की जा सकेगी। हस्तगत प्रकरण में जो प्रनोट पेश किया गया है वह किसी प्रकार से साबित नहीं किया है व जिस कर्मचारी को न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह परीक्षित करवाया गया है, के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह अप्रार्थी को शक्ल से जानता तक नहीं है तो उसके सामने प्रनोट पर हस्ताक्षर किए जाने का तथ्य अपने आप में ही साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

9. सुना गया। पत्रावली व सुसंगत विधि का अध्ययन व अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के अभिवचनों व उनकी ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का विवाद्यकवार विनिश्चय निम्न प्रकार से हैं:–

विवाद्यक संख्या 1 व 2

10. उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। उक्त दोनों विवाद्यक एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। जिनके द्वारा प्रार्थी को यह साबित करना था कि अप्रार्थी ने प्रार्थी से समय–समय पर विभिन्न तिथियों को उधार प्राप्त की गई राशि के पेटे हिसाब समझते हुए 2,00,000/– (दो लाख रुपए) 1.50/– रुपए प्रति सैंकड़ा ब्याज तय कर दिनांक 25.04.2011 को प्रोनोट व रसीद तहरीर व तकमील की व प्रार्थी अप्रार्थी से मूलधन मय ब्याज कुल राशि 3,11,000/– रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र व मुख्य परीक्षा के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र में यह कथन किया है कि प्रार्थी फर्म में गुरसेवक सिंह का लेन–देन था व दिनांक 20.04.2011 को फर्म का तमाम हिसाब करके बकाया रकम का प्रनोट बही खाता में इंद्राज किया गया था तथा इसकी एवज में दो लाख रुपए का प्रनोट लिखकर फर्म के नाम तहरीर करके अप्रार्थी के द्वारा उपरोक्त राशि पर डेढ़ रुपया सैकड़ा ब्याज तय किया गया था, इसके संबंध में प्रार्थी सुरेंद्रपाल सिंह पी.डब्ल्यू.1 के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनकी फर्म अलग–अलग होने के कारण लेन–देन का हिसाब–किताब उनके पास नहीं है, दूसरी फर्म के पास चला गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया था कि फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह द्वारा उक्त

आवेदन के साथ अपने बही खाते व नकल रोकड़ बही खाता प्रस्तुत नहीं की है जो कि उक्त याचिका का भाग है व आवेदक से प्रारंभ से लेकर अब तक के हिसाब–किताब के बही खाते रोकड़ तलब करवाए जाएं जिस पर न्यायालय के द्वारा उक्त उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 31.07.2025 को स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को उक्त प्रकरण के निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेज मानते हुए प्रार्थी फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह को आदेशित किया था कि वह अविलंब उक्त दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश करावे परंतु पर्याप्त व युक्तियुक्त अवसर प्राप्त करने के पश्चात भी उक्त दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 25.04.2026 को भविष्य में प्रार्थी को उक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति नहीं देने एवं दस्तावेज के अभाव में प्रार्थी के विरुद्ध उपधारणा की जा सकेगी, का उल्लेख करते हुए पत्रावली को पुनः साक्ष्य प्रार्थी हेतु नियत किया गया था।

11. इस प्रकार जिन दस्तावेजों के आधार पर आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 25.04.2011 को अपना तमाम हिसाब समझकर फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह के हक में दो लाख रुपये का प्रनोट व रसीद लिखा गया था, परंतु उक्त संव्यवहार से संबंधित बही, रोकड़ आदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित बही खाते या रोकड़ बही उक्त तर्क कथित अदायगी को प्रमाणित करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य थे किंतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश के उपरांत भी उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114(जी) के अनुसार न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसा साक्ष्य, जिसे प्रस्तुत किया जा सकता था, प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि प्रस्तुत किया जाता तो उसे रोकने वाले पक्ष के प्रतिकूल होता। अतः हस्तगत प्रकरण में उक्त महत्वपूर्ण लेखा अभिलेखों को प्रस्तुत न किए जाने से प्रार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा लिए जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है कि यदि उक्त अभिलेख प्रस्तुत किए जाते तो प्रार्थी द्वारा कथित दो लाख रुपये की बकाया राशि के कथनों का समर्थन नहीं करते।

12. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरेंद्र पाल सिंह ने स्वयं को फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह का प्रोपराइटर बताया है परंतु प्रार्थी प्रार्थी पी.डब्ल्यू.1 सुरेंद्र पाल सिंह के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि वह फर्म जीवन अवतार सिंह का 2019 में पिताजी की मृत्यु के बाद प्रोपराइटर बना था, उससे पहले पिताजी प्रोपराइटर थे। उनकी पहले से दो फर्म चल रही थी एक फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह व दूसरी सुरेंद्र पाल दलविंदर सिंह थी। वह पिताजी की मृत्यु के बाद जीवन सिंह अवतार सिंह का प्रोपराइटर बना था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि इस फर्म के स्वामित्व के संबंधित असल दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। प्रदर्श.1 व 2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह प्रनोट उसके पिता अवतार सिंह ने लिखा था इस प्रकार प्रार्थी सुरेंद्र पाल सिंह ने स्वयं को फर्म जीवन सिंह

अवतार सिंह का प्रोपराइटर बताया है परंतु अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त फर्म के स्वामित्व/प्रोपराइटरशिप से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, विशेष रूप से जबकि संबंधित प्रनोट वर्तमान प्रार्थी सुरेन्द्र पाल सिंह के नाम न होकर फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह के नाम है। वर्तमान प्रार्थी सुरेंद्र पाल सिंह के लिए उक्त फर्म एवं इस विशिष्ट दावे से अपने अधिकार का संबंध साक्ष्य द्वारा स्थापित करना आवश्यक था परंतु प्रार्थी सुरेंद्र पाल के द्वारा यह संतोषजनक रूप से प्रमाणित नहीं किया है कि वह फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह के उक्त विशिष्ट लेन–देन एवं उक्त फर्म के नाम से निष्पादित प्रनोट के आधार पर उत्पन्न दावे को आगे संचालित करने का अधिकारी था।

13. पत्रावली में प्रार्थी की ओर से अन्य गवाह राजेंद्र कुमार पी.डब्ल्यू.2 को परीक्षित करवाया गया है जिसके द्वारा प्रनोट प्रदर्श.1 में गवाह के रूप में ई से एफ पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है परंतु उक्त गवाह के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि वह फर्म का हिसाब–किताब नहीं देखता, फर्म के हिसाब–किताब के लिए कोई मुनीम नहीं है। वह फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह के कहने पर गवाही देने आया है जो उसने शपथ पत्र पेश किया, उसकी तारीख उसे याद नहीं है। वह अनपढ़ है। वह अमरजीत सिंह के पुत्र के खिलाफ गवाही देने आया है। अमरजीत सिंह के पुत्र की जमीन का मुरब्बा नंबर उसे याद नहीं है। वह गुरसेवक सिंह की शक्ल नहीं जानता है, पर उसके सामने दो लाख रुपये उधार लिए थे और उसने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे, उसे इसकी आज तारीख याद नहीं है। उसे प्रदर्श.1 प्रनोट किस तारीख को लिखा गया था, याद नहीं है अज खुद कहा कि अप्रैल का महीना था। इस प्रकार गवाह राजेंद्र कुमार ने उक्त फर्म का हिसाब–किताब अपने सामने नहीं होने के तथ्य को स्वीकार किया है व स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि वह गुरसेवक सिंह की शक्ल नहीं जानता है।

14. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को अपने आवेदन पत्र के आधारभूत तथ्यों को अपनी साक्ष्य से साबित करना आवश्यक था। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी फर्म के द्वारा प्रार्थी फर्म व अप्रार्थी के मध्य हुए संव्यवहार के संबंधित बही खाते रोकड़ आदि न्यायालय के आदेश उपरांत भी उक्त मूल हिसाब –किताब के अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने से उससे उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति वर्तमान प्रार्थी द्वारा फर्म एवं अवतार सिंह के नाम के उक्त आवेदन पत्र से अपने अधिकार का संबंध संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य से स्थापित न किए जाने के कारण केवल मात्र प्रनोट व रसीद के आधार पर दो लाख रुपये मूलधन तथा ब्याज सहित तीन लाख ग्यारह हजार रुपये की कथित देयता को संतोषजनक रूप से साबित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी अपने आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों विवाद्यक संख्या

1 व 2 प्रार्थी के विरूद्ध तय किए जाते हैं।

विवाद्यक संख्या 03

15. चूकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी विवाद्यक संख्या 01 व 02 को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी दशा में उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में विवेचन व विश्लेषण किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 (अनुतोष)

16. चूंकि प्रार्थी मूल विवाद्यक संख्या 01 व 02 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः ऐसी दशा में प्रार्थी किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

–आदेश–

17. फलतः उपरोक्त विवेचनानुसार आवेदक/ऋणदाता फर्म जीवन सिंह अवतार सिंह श्रीगंगानगर जरिए प्रोपराइटर सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी 75 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6(2) राजस्थान कृषि ऋण मुक्त अधिनियम, 1957 विरूद्ध अनावेदक गुरसेवक सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर अस्वीकार किया जाकर **खारिज** किया जाता है।

18. खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(मनदीप)
ऋण निवारण न्यायालय
(वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश)
संख्या–1, श्रीगंगानगर

19. आदेश आज दिनांक 20.08.2026 को उसके द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

(मनदीप)
ऋण निवारण न्यायालय
(वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश)
संख्या–1, श्रीगंगानगर